कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न0–1800890915(टोल फ्री)
Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 191 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 03 / 08 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के विघानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33के0वी0 विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल–टी–02 के निर्माण हेत 1.68 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पांवर कार्पोरेषन लि0 टिहरी गढवाल को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0 (FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग का पत्रांक–245/12–1, दिनांक 27–07–2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/04/65/2022/एफ0सी0/736 दिनांक 29.08.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक–245/12–1, दिनांक 27–07–2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित अग्रसारित की जा रही हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no.5, no justification is found submitted. State Government is requested to submit the justification regarding width of the proposed area.	बिन्दु संख्या–01 के कम में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित क्षेत्र की लंबाई 8400 मीटर है और चौड़ाई पूरे संरेखण में 2 मीटर स्थिर रखी गई है। ज्ञांतव्य है कि 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 15 मीटर की चौड़ाई अधिकतम चौड़ाई मान्य होती है। इस संबंध में प्रस्तावक विभाग के द्वारा भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों, जिनकी प्रस्ताव संख्या: FP/UK/TRANS/36388/2018 और FP/UK/TRANS/211 16/2016, दोनों प्रस्ताव 33 केवी ट्रांसमिशन लाईन हेतु प्रस्तावित हैं। उक्त प्रस्तावों में चौड़ाइ क्रमशः 2 मीटर एवं 3 मीटर प्रस्तावित की गयी है एवं दोनों प्रस्ताव MoEF&CC, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। उपरोक्त प्रत्येक प्रस्ताव संख्या के लिए लम्बाई और चौड़ाई प्रमाणपत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति, और विधिवत स्वीकृति की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वन भूमि को चयनित कर प्रस्ताव गठित किया गया है। (संलग्नक–01)
2	In reply to point no.6, details of 239 trees which are required to be lopped/chopped is submitted but the same is not found uploaded in part II, which is required to be done.	अवगत कराना है कि लोपिंग हेतु प्रस्तावित 239 वृक्षों की सूची परिवेश पोर्टल के भाग–02 के एडिशनल कॉलम में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–02)
3	In reply to point no.7, though it is submitted that CA area has been changed but the details of revised CA is not found uploaded in part II, which is required to be done.	अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नवीन चयनित स्थल (ब्रह्मपुरी कक्ष संख्या–05) की के0एम0एल0 फाईल, टोपोशीट एवं जी0आई0एस0 मानचित्र, क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं क्षतिपूरक वनीकरण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल के भाग–02 में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–03)
4	In reply to point no.8, instead of administrative approval some	अवगत कराना है कि प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–04)

OK P.T.O.

	receipt are foumd submitted and uploaded. State government is requested to provide the administrative approval of the proposal	

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

संख्याः– 191 / 127 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक